फूलचन्द बनाम नगर पालिका नागौर

मुकदमा/निगरानी/नगर पालिका एक्ट/73(2)/00206/2016

	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगर. अभि. श्री राकेश अरोड़ा गैर निग. 3 श्री जी.एस. लखावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03.08.2021	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता स्वयं जरिये अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा व गैर निगरानीकर्ता अभिभाषक उपस्थित। निगरानीकर्ता का निगरानी विड्रो किये जाने के प्रार्थना पत्र मय फोटो व पहचान पत्र की प्रति सहित पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रकरण में बहस हेतु नियत है। निगरानीकर्ता अभि. को अपील विड्रो प्रार्थना पत्र पर सुना गया। निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उक्त निगरानी प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने लोगो के बहकावे में आकर प्रस्तुत कर दी। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को प्रकरण में वास्तविक सही जानकारी पता चली कि जिस आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिये प्रार्थी/निगरानीकर्ता उक्त प्रकरण को आगे नही चलाकर इसी स्तर पर विड्रो खारिज करवाना चाहता है। अतः उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने से इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता स्वयं ही अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं बताकर प्रस्तुत निगरानी को को आगे नहीं चलाकर विड्रो खारिज करवाना चाहते है जिससे न्यायहित में विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता अभिभाषक का निगरानी विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. बीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	Fullchand राकेश अरोड़ा एड.

Scanned with CamScanner